फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

जमालुदीन बनाम् उस्मान

किस्म प्रकरण :

मुकदमा नं.– 12/16/~~2020~~

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलरा जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुये।
18/8/20	वकलाय उप0। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 22/9/20 को पेश है। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)	
22/9/20	पेशकार/ ... आवश्यक. कोरम / लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी मीटिंग में/आवश्यक अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 30/9/20 पेश करें।	
30/9/20	वकलाय उप0। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 12/2016

प्रार्थीगण :–

1. जमालुदीन पुत्र गबरूखां
2. रईसा पत्नी जमालुदीन
   कौम–तेली, निवासीगण–सोमणा तहसील जायल, जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. उस्मान पुत्र नसीरा
2. सदीक पुत्र नसीरा
3. सलीम पुत्र रजाक
4. मेहमूना पत्नी रजाक
   कौम–तेली निवासीगण–सोमणा तहसील जायल जिला–नागौर
5. राज0 सरकार जरिये तहसील जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 914 रकबा 18 बीघा मौजा सोमणा तहसील जायल में आया हुआ ह। जिसके दक्षिणी तरफ चिपता ही अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नं. 912 रकबा 14.06 बीघा स्थित है, तथा इसी खेत के उत्तरी तरफ कटाणी रास्ता लगता है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 914 में कृषि हेतु वाहन, पशुओ को लाने व ले जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 912 के अतिरिक्त कोई भी नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु नहीं लगता है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 914

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

30/9/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

में आने जाने बाबत् अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 912 रकबा 14.06 बीघा में से पूर्वी माठ (सींव) के पास-2 प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. की तरफ 12 चौड़ा रास्ता दिलाये जाने की इस्तदुआ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में चाही गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 5 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में बताया कि मुतदाविया खेताय के संबंध में न्यायालय हाजा से अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रकरण संख्या 09/2017 से खसरा नं. 912 ग्राम सोमणा तहसील के लिए जारी हो रखा है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 914 के लिए चाहे गये अप्रार्थीगण के खसरा नं. 912 में से रास्ते की चौड़ाई 12 व लम्बाई 554 फुट बनती है तथा नजरी नक्शा में बताये अनुसार मार्क ए से बी 0.08 बीघा भूमि रास्ता हेतु प्रयुक्त होगी। जिसकी डी.एल.सी. से दुगुनी 29200 रू. व 3 गुणा दर से 87600 रू. राशि मुआवजा के तौर पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को देय है। साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगणों का वर्तमान में अपने खेत खसरा नं. 914 में आना जाना खसरा नं. 918 व 919 की उत्तरी सींव के सहारे-2 सरकारी खसरान की भूमि में होना भी रिपोर्ट में है। जिसकी दूरी मात्र 396 है, परन्तु प्रकरण हाजा में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. सुविधादायक होने से उक्त खसरान की भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने की अभिशंषा भी तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट में की गई है।

अप्रार्थी सं. 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपने जबाब में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र तथ्य गलत व मनगढ़त आधार पर मात्र तंग व परेशान करने की नियत से बेबुनियाद आधार पर पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह भी बताया कि प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी तरफ खसरा नं. 913 चिपता आया हुआ है। जिसको प्रार्थीगण ने नहीं लिखा है तथा खसरा नं. 913 के उतरी तरफ कटाणी रास्ता जरूर आया हुआ है जिसका उल्लेख प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थीगणो खसरा नं. 920 गैर मुमकिन गौचर से होते हुये खसरा नं. 919 की उत्तरी सींव के पास-2 अपने खेत खसरा नं. 914 में आते जाते है वही प्रार्थीगणों का एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण को खसरा नं. 914 में आने जाने बाबत् खसरा नं. 912 के पूर्वी माठ से साहरे मार्क ए.बी. तक 12 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना गलत है जबकि प्रार्थीगणो का रास्ता खसरा नं. 920, 919 व 918 की उतरी सींव के पास पास अर्से से कदिमी समय से रहता चला आया है, जो सबसे कम दूरी अर्थात लम्बाई 400 फुट है। उसके आगे

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

30/9/2020
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 920 है जो सरकारी है उससे रास्ता लेना चाहिऐ जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये खसरा नं. 912 में रास्ता की लम्बाई लगभग 800 फुट है। वकील प्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दिशा से नजदीक रास्ता व कम दूरी का रास्ता हो तथा जहां से काश्तकार का पूर्व में आना जाना हो रहा है उसी रास्ते से कटाणी रास्ता घोषित किया जावे। परन्तु प्रार्थीगण ने गलत मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाने योग्य है। वकुलाय के निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में वास्ते बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने को निवेदन किया जिसके एवज में नियमानुसार डी.एल.सी. दर से प्रतिफल राशि प्रार्थीगण वहन करने के लिए सहमत है। वकील अप्रार्थी ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र गलत , बनावटी, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर तथा सारहीन होने का जिक्र करते हुये तथा विवादित खसरा की भूमि पर न्यायालय हाजा से प्रकरण संख्या 109/2017 में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खसरा नं. 912 ग्राम सोमणा तहसील में जारी हो रखे है, तथा आदिनांक को उक्त प्रकरण विचाराधीन है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा तथा मूल वाद का अन्तिम निस्तारण न होने तक मौजा सोमणा के उक्त विवादित खसरान (रास्ता हेतु प्रस्तावित) भूमि की भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

— : : आदेश : : —

यत् ग्राम सोमणा तहसील जायल के खसरा नं. 912 में से खसरा नं. 914 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क "ए से बी " तक 12 फीट चौड़ाई का प्रस्तावित रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ, प्रार्थीगण के आने जाने के संबंध में स्वीकृति बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2017 अनवान सदीक बनाम उस्मान वगैरह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण खारिज योग्य पाया जाने से खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/09/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

30/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,जायल
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner